Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सुरेश को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुरेश पुत्र लख्मीचन्द निवासी ग्राम हसनपुर थाना फुगाना जिला मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 548/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 13.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सुरेश को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों देशपाल व जवाहर सिंह को हुई 05-05 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत

मुख्य आरक्षी रवि कोर्ट पैरोकार थाना रमाला

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-देशपाल पुत्र रघुवीर निवासी पट्टी धनधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत व 2-जवाहर सिंह पुत्र रामशरण निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना रमाला पर मु0अ0सं0 161/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 13.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों देशपाल व जवाहर सिंह को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 05-05 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनाँक 13.06.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 108/2025 धारा 74/115(2)/110 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.सं. 108/2025 धारा 74/115(2)/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

चाहत पुत्र सोमदत्त निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत

2-का0 72 प्रदीप कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 13.06.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 357/25 धारा 352/109 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घाय़ल अवस्था में) व अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही/कब्जे से 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.06.2025 को थाना बडौत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि बाईक सवार 03 अज्ञात लड़कों तथा काली स्कॉर्पियों में सवार कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा वादिया के घर के बाहर आकर गाली-गलौच की गई, जिसका वादिया द्वारा विरोध करने पर वादिया के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किये गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 357/25 धारा 352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान दिनांक 11.06.25 को अभियुक्त सोनू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत हाल निवासी गली नं0 8 गुराना रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया था, जिसको

थाना बड़ौत पुलिस द्वारा दिनांक 12.06.2025 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ करने पर अभियुक्तगण 1.हर्ष पुत्र मनोज निवासी बावली चुंगी के पास कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत, 2.लव पुत्र अनिल निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत 3.अजीत पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत, 4.सुमित उर्फ रिक्का पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद किया गया है।

दिनांक 12.06.25 को उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी। जिसके बाद आज दिनांक 13.06.25 को चैकिंग के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त सुमित उर्फ रिक्का पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत को ग्राम लूहारी के जंगल से बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ है।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम/ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 357/25 धारा 352/109 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त सुमित उर्फ रिक्का को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायल अवस्था में) तथा 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/ निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .32 बोर तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 373/25 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल- ग्राम लुहारी थाना बडौत के जंगल में।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.सोनू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत हाल निवासी गली नं0 8 गुराना रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2. सुमित उर्फ रिक्का पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत। (घायल)

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर (अभि0 सोनू की निशादेही से बरामद)

- 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .32 बोर (अभि0 सुमित उर्फ रिक्का के कब्जे से बरामद)

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 108/2024 धारा 380/411/427/457 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 109/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 351/2020 धारा 394 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 361/2020 धारा 302/307/34/504 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 409/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 757/2023 धारा 307/323 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सुमित उर्फ रिक्का का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 101/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 805/2018 धारा 380/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्रभारी/निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2- उ0नि0 श्री दिनेशपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

4-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

5-उ0नि0 श्री सिद्धार्थ सक्सैना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

6-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

7-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

8-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

9-का0 970 रोहित अत्री थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

10- का0 463 पवन नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 13.06.2025**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 167/25 धारा 115(2)/110 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावडा बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.06.25 को थाना रमाला पर वादी श्री मोनू तोमर पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.बिल्लू पुत्र भीम सिंह, 2.सतेन्द्र पुत्र भीम सिंह, 3.सचिन पुत्र सतेन्द्र व 4.एक महिला निवासीगण ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी व वादी के परिजनो के साथ फावडे से मारपीट की गई, जिससे वादी का बेहोश हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 167/25 धारा 115(2)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 167/25 धारा 115(2)/110 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावडा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबध में थाना रमाला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.बिल्लू पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत।

2.सतेन्द्र पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक फावडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत

3-है0का0 134 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत

4-का0 1043 सुनील कुमार थाना रमाला जनपद बागपत